बिहार सरकार,
कृषि विभाग।

पत्र संख्या–पी0पी0एम0–58 / 2016– 111 / कृ०, पटना, दिनांक 8/01/2018

प्रेषक,

सुधीर कुमार,
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

(1) अनौपचारिक रूप से परामर्शित। द्वारा : वित्त विभाग, बिहार, पटना। (+)

विषय:– **11 जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण हेतु 5160.05 लाख (एकावन करोड़ साठ लाख पाँच हजार) रूपये एवं 03 प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण हेतु 1703.31 लाख (सतरह करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये कुल 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति के अधीन वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल योजना की स्वीकृत राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 60 प्रतिशत 4118.016 लाख (इकतालीस करोड़ अठारह लाख एक हजार छः सौ) रूपये के अधीन तत्काल 3448.192 लाख (चौतीस करोड़ अड़तालीस लाख उन्नीस हजार दो सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेश : स्वीकृत।

11 जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण हेतु 5160.05 लाख (एकावन करोड़ साठ लाख पाँच हजार) रूपये एवं 03 प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण हेतु 1703.31 लाख (सतरह करोड़ तीन लाख इकतीस हजार) रूपये कुल 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति राज्यादेश संख्या–पी० पी० एम०– 58 / 2016–548 दिनांक 03.02.2017 द्वारा दिया गया है। उक्त स्वीकृति के आलोक में वर्ष 2016–17 में 2745.3440 लाख रूपये (कुल स्वीकृत राशि का 40 प्रतिशत) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी गई है, जिसकी निकासी भवन निर्माण विभाग द्वारा कर ली गयी है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 60 प्रतिशत 4118.016 लाख (इकतालीस करोड़ अठारह लाख एक हजार छः सौ) रूपये के अधीन तत्काल 3448.192 लाख (चौतीस करोड़ अड़तालीस लाख उन्नीस हजार दो सौ) रूपये की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. प्रस्तुत योजना का कार्यान्वयन वर्ष 2016–17 एवं 2017–18 में किया जाना है। 11 जिला स्तरीय संयुक्त कृषि भवन के प्राक्कलन को मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार एवं अनुमोदित किया गया है। कार्यालय भवन के लिए 1905.66 वर्ग मीटर क्षेत्र में भवन निर्माण कार्य हो

रही है। भवन निर्माण के अतिरिक्त भूमि विकास/भवन मे विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के विकास/आंतरिक सड़क आदि के लिए प्रति इकाई स्वीकृत राशि निम्नवत है :–

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रति इकाई
1	बक्सर	472.82 लाख
2	नवादा	439.27 लाख
3	सिवान	480.58 लाख
4	मुजफ्फरपुर	469.09 लाख
5	पश्चिमी चम्पारण	491.52 लाख
6	सीतामढ़ी	487.56 लाख
7	दरभंगा	481.53 लाख
8	बेगुसराय	456.41 लाख
9	कटिहार	469.71 लाख
10	समस्तीपुर	450.66 लाख
11	खगड़िया	460.90 लाख
	कुल	**5160.05 लाख रूपये**

सभी ग्यारह जिलों में कार्यालय भवन/चहारदिवारी सहित परिसर के निर्माण/विकास की कुल 5160.05 लाख (एकावन करोड़ साठ लाख पाँच हजार) रूपये की लागत पर योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्राप्त है।

3. 03 प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि भवन के निर्माण के लिए प्राक्कलन को मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा तैयार एवं अनुमोदित किया गया है। कार्यालय भवन के लिए 2650.19 वर्ग मीटर क्षेत्र में भवन निर्माण हो रही है। भवन निर्माण के अतिरिक्त भूमि विकास/भवन में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं के विकास/आंतरिक सड़क आदि के लिए प्रति इकाई स्वीकृत राशि निम्नवत है:–

क्र० सं०	जिला का नाम	प्रति इकाई
1	गया	541.51 लाख
2	मुंगेर	574.45 लाख
3	पूर्णियाँ	587.35 लाख
	कुल	**1703.31 लाख रूपये**

4. तीन (3) प्रमण्डल स्तरीय सयुक्त कृषि भवन में कार्यालय भवन/चहारदिवारी सहित परिसर के निर्माण/विकास की कुल 1703.31 लाख (सतरह करोड़ तीन लाख एकतीस हजार) रूपये की लागत पर योजना कार्यान्वयन की स्वीकृति प्राप्त है।

5. जिला एवं प्रमण्डल स्तरीय संयुक्त कृषि भवन का निर्माण भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। संवेदक भवन निमाण कार्य सहित परिसर के विकास के सभी कार्यो के लिए जिम्मेवार होंगे। परियोजना अन्तर्गत निर्मित भवन/परिसर के पाँच वर्षो तक के रख–रखाव की जिम्मेवारी संबंधित संवेदक की होगी। विभिन्न जिलों में स्थल के आवश्यकता के अनुसार विभिन्न कार्यमदों में निधि की आवश्यकता अलग–अलग भी हो सकती है किन्तु कुल व्यय स्वीकृत राशि की सीमा के अधीन ही होगा।

6. उक्त योजना के सर्वोच्च नियंत्री पदाधिकारी कृषि निदेशक, बिहार हैं। योजना कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यकता होने पर यथा आवश्यक संशोधन कृषि विभाग द्वारा किया जायेगा।

7. जिला स्तर पर जिला कृषि पदाधिकारी, प्रमंडलीय स्तर पर प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं राज्य स्तर पर कृषि निदेशक द्वारा नियमित रूप से योजना कार्यान्वयन की समीक्षा की जायेगी एवं योजना का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा।

8. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल योजना की स्वीकृत राशि 6863.36 लाख (अड़सठ करोड़ तिरसठ लाख छत्तीस हजार) रूपये का 60 प्रतिशत 4118.016 लाख (एकतालीस करोड़ अठारह लाख एक हजार

छः सौ) रूपये व्यय की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है। इस प्रकार अब इस योजनाओं के लिए पूर्ण लागत राशि की स्वीकृति हो जाती है। यह राशि भवन निर्माण विभाग के मांग संख्या–3 में उपलब्ध है। उक्त राशि का आवंटन भवन निर्माण विभाग बिहार, पटना द्वारा संबंधित कार्यपालक अभियंता को उपलब्ध कराया जायेगा। संबंधित कार्यपालक अभियंता प्राप्त आवंटन का विपत्र संबंधित कोषागार से निकासी कर व्यय करेंगे।

9. वितीय वर्ष 2017–18 में बजट शीर्ष एवं उपबंधित राशि से संबंधित विवरणी निम्न प्रकार है:–

(राशि लाख रूपये में)

बजट शीर्ष	उपबंधित राशि	स्वीकृत राशि	तत्काल निकासी एवं व्यय हेतु राशि
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–051–निर्माण, उपशीर्ष–0119–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059010510119 विषय शीर्ष 0119.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	3486.00	3417.9533	2861.99936
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01– कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष–0102–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059017890102 विषय शीर्ष 0102.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	672.00	658.8826	551.71072
मुख्य शीर्ष 4059–लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, मांग संख्या–03, उप मुख्य शीर्ष 01–कार्यालय भवन, लघु शीर्ष–796–जनजाति क्षेत्र उप योजना, उपशीर्ष–0105–कृषि कार्यालय भवन, विपत्र कोड 03–4059017960105 विषय शीर्ष 0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य	42.00	41.1801	34.48192
कुल योग :–	**4200.00**	**4118.0160**	**3448.192**

उपरोक्त बजट शीर्ष अंतर्गत स्वीकृत राशि के अधीन तत्काल सामान्य मद में 2861.99936 लाख (अठाईस करोड़ एकसठ लाख निन्यानवें हजार नौ सौ छत्तीस) रूपये, अनुसूचित जाति मद में 551.71072 लाख (पाँच करोड़ इक्यावन लाख इकहत्तर हजार बहत्तर) रूपये तथा अनुसूचित जनजाति मद में 34.48192 लाख (चौतीस लाख अड़तालीस हजार एक सौ बानवें) रूपये कुल 3448.192 लाख (चौतीस करोड़ अड़तालीस लाख उन्नीस हजार दो सौ) रूपये मात्र की निकासी एवं व्यय की जा सकेगी।

10. वित्त विभाग का संकल्प संख्या 96 वि0 (2) दिनांक 03.01.2008 में निहित प्रावधान के आलोक में उक्त योजना के कार्यान्वयन में मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दिनांक– 25.01.2017 की बैठक में, संचिका संख्या–पी0पी0एम0–58/2016 के पृष्ठ सं0–32/टि0 पर प्राप्त है। वित्त विभाग का संकल्प संख्या 3758, दिनांक 31.05.2017 में निहित प्रावधान के आलोक में प्रधान सचिव, कृषि का अनुमोदन पृ0सं0–43./टि0 पर दिनांक 19.12.2017 को एवं माननीय मंत्री, कृषि का अनुमोदन दिनांक–20.12.2017 को पृ0सं0–43/टि० पर प्राप्त है।

11. वित्त विभागीय परिपत्र संख्या– 7355 वि0 (2) दिनांक 05.10.2007 के आलोक में महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पंत्र की आवश्यकता नहीं है।

12. राज्यादेश में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–पी0पी0एम0–58/2016 के पृ0सं0–45/टि0 पर दिनांक: 04.01.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

8.1.2018

(सुधीर कुमार)
प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

E:\ABHINAV\2017-18\11dist .& 03Reg.Rajyadesh 23-11-2017.docx

ज्ञापांक :– पी0पी0एम0–58 / 2016– 111 / कृ0, पटना, दिनांक 8/01/ 2018

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.1.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी0पी0एम0–58 / 2016– 111 / कृ0, पटना, दिनांक 8/01/ 2018

प्रतिलिपि : मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग / योजना एवं विकास विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.1.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी0पी0एम0–58 / 2016– 111 / कृ0, पटना, दिनांक 8/01/ 2018

प्रतिलिपि : सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

8.1.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– पी0पी0एम0–58 / 2016– 111 / कृ0, पटना, दिनांक 8/01/ 2018

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव / कृषि उत्पादन आयुक्त के प्रधान आप्त सचिव / प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव / प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग / कृषि निदेशक, बिहार, पटना / मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना / निदेशक, बिहार राज्य बीज प्रमाणन एजेन्सी, पटना / सभी प्रमंडलीय आयुक्त / सभी जिला पदाधिकारी / सभी संयुक्त कृषि निदेशक / सभी जिला कृषि पदाधिकारी / बजट एवं योजना शाखा, सचिवालय एवं कृषि निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना) को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8.1.2018

प्रधान सचिव,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।